



पेश कर वाद जरिये राजीनामा विद्रोह करने
का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु
20/11/2020 का पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

20/11/2020

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध
रेकॉर्ड का अवलोकन व मनन किया। वादी श्रीशोक
कुमार ने प्राथमिक पेश कर निवेदन किया कि
वादी व प्रतिवादी गणों के आपसी समझौते से
समझौता हो गया है एवं अब इन्त वाद पत्र
बाबत कोई विवाद नहीं रहा है। श्री श्रीशोक कुमार
की पहचान श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता
की। वादी व उनके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक पत्र
किया जाता है। वादी का वाद पत्र जरिये
विद्रोह खारिज किया जाता है। निर्णय से
इत्तमास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभा
होकर नम्बर से क्या हो।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

